

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.8(9) परीक्षा क/प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान/2015-16/858, 859 दिनांक 10.06.2018 तथा 122/14.05.2018 व 109 दिनांक 8.5.2018 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) राजनीति विज्ञान वेतन लेवल 12 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक राजनीति विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)-राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-1(12)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ-12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ-15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक(क-2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम विकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
6. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट <http://shiksha.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियों माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 18303/2016 प्रियका जैन बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2018 तथा शिमला यादव बनाम स्टेट के रिट सं. 9831/17 में दिये गये निर्णय के संदर्भ में की गयी है। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

संलग्न- आशार्थियों की सूची।



(नथमल डिहल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 22/06/18

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/नियुक्ति-राजनीति विज्ञान/पीएससी-15/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/ कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)


माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-8/नियुक्ति-राजनीति विज्ञान/पीएससी-15/2017 दिनांक-22.08.2018

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (व्या0-राजनीति विज्ञान) राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	1392	BC WE DV RG	SEEMA TOGRA	RAMLAL JAT	15-08-1990	ग्राम-माधोगंज पोस्ट बासेडा, तहसील- टोडारायसिंह, जिला टोंक-304605	GENF DV	GOVT SR.SEC. SCHOOL SUNTHARA, UNIYARA, TONK	TONK
2	2136	BC WE WD	SHIMLA YADAV	GIRDHARI LAL YADAV	05-04-1987	प्लॉट नं. 14, श्याम विहार, शिव मंदिर के सामने रेल्वे स्टेशन रोड, जयपुर	GENF	GOVT SR.SEC. SCHOOL MANPURA MACHEDI, AMBER, JAIPUR	JAIPUR
3	2153	BC WE WD	SUMAN	DUNI RAM	01-12-1989	गांव-मिर्जावाली मैर, तहसील-टिन्बी, जिला हनुमानगढ़-332524	OBCF WD	GOVT. SR. SCE. SCHOOL, DHOLIPAL, HANUMANGARH	HANUMANG ARH
4	2158	BC WE WD DC	MUNNI KUMAWAT	SURAJMAL KUMAWAT	15-07-1982	वार्ड नं. 2 पुरानी कोर्ट गली, खाटू गोड, रींगस - सीकर 332404	OBCF WD	GOVT. SR. SEC. SCHOOL BAJAWAS, DANTARAMGARH, SIKAR	SIKAR
5	2193	ST WE DV	SUMITR A MEENA	RAMLAL MEENA	24-06-1986	गांव-घाटा, पोस्ट बेनाडा तह. बरसी जिला जयपुर	STF	GOVT. SR. SEC. SCHOOL DIDAWATA-PHAGI, JAIPUR	JAIPUR




(नथमल डिंडेल)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान-दीकानेर